भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *244

जिसका उत्तर 12.12.2024 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों से संबंधित आंकड़े

*244. श्री गुरमीत सिंह मीतः

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पिछले दस वर्षों के दौरान सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के राज्य, आयु-समूह और दुर्घटना के प्रकार के आधार पर वर्गीकृत आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों जैसे असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ताओं पर दुर्घटनाओं के होने वाले सर्वाधिक प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास आगामी वर्षों में सड़क दुर्घटना से होने वाली मौतों को कम करने के लिए कोई लक्षित कार्यनीति या विशिष्ट योजना है, यदि हां, तो उसके लिए निर्धारित समय-सीमा और उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो ऐसी योजनाएं न होने के कारण क्या हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

"सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों से संबंधित आंकड़े" के संबंध में गुरमीत सिंह मीत द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *244 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष "भारत में सड़क दुर्घटनाएँ" नामक रिपोर्ट प्रकाशित करती है। विगत वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों के आधार पर, कैलेंडर वर्ष 2013 से 2022 के दौरान सड़क दुर्घटना में हुई मौतों के आंकड़ों का विवरण, राज्य, आयु समूह और दुर्घटना के प्रकार के अनुसार वर्गीकृत किया गया है, जो क्रमशः **अनुबंध-I, अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** में संलग्न है।

(ख) और (ग) रिपोर्ट "भारत में सड़क दुर्घटना, 2022" में पैदल यात्रियों, साइकिल चालकों और मोटरसाइकिल चालकों को असुरक्षित समूह के रूप में पहचाना गया है, जो सड़क यातायात मौतों के एक बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं।

सड़क दुर्घटनाएँ बहु-कारणीय वाली घटनाएँ हैं और विभिन्न कारकों के पारस्परिक क्रिया का परिणाम हैं। इन्हें मोटे तौर पर (i) मानवीय भूल, (ii) सड़क की स्थिति/पर्यावरण और (iii) वाहनों की स्थिति में वर्गीकृत किया जा सकता है।

सड़क सुरक्षा पर स्टॉकहोम घोषणा पत्र के अनुसार, भारत 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों की संख्या को 50% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। घोषणापत्र में सड़क सुरक्षा के लिए समग्र दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया गया है, जिसमें सड़कों और वाहनों के डिजाइन में सुधार करना; नियमों और कानून प्रवर्तन को बेहतर बनाना; घायलों के लिए समय पर जीवनरक्षक आपातकालीन देखभाल प्रदान करना; और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं।

इसलिए, सरकार ने 4ई अर्थात् शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों की), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को समाधान करने के लिए एक बहुआयामी कार्यनीति तैयार की है। तदनुसार, मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल की गई हैं जिनका विवरण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

अनुबंध- I

"सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों से संबंधित आंकड़े" के संबंध में गुरमीत सिंह मीत द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *244 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

कैलेंडर वर्ष 2013 से 2022 तक देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मृत्यु दर

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल मौतें
1	आंध्र प्रदेश	86035
2	अरुणाचल प्रदेश	1328
3	असम	27548
4	बिहार	63041
5	छत्तीसगढ	45031
6	गोवा	2810
7	गुजरात	75738
8	हरियाणा	48326
9	हिमाचल प्रदेश	11154
10	झारखंड	32308
11	कर्नाटक	106544
12	केरल	40389
13	मध्य प्रदेश	104874
14	महाराष्ट्र	130613
15	मणिपुर	1343
16	मेघालय	1640
17	मिजोरम	706
18	नगालैंड	474
19	ओडिशा	47483
20	पंजाब	46150
21	राजस्थान	102712
22	सिक्किम	713
23	तमिलनाडु	165847
24	तेलंगाना	63396
25	त्रिपुरा	1985
26	उत्तराखंड	8911

27	**उत्तर प्रदेश**	**197283**
28	**पश्चिम बंगाल**	**59492**
29	**अंडमान और निकोबार**	**216**
30	**चंडीगढ़**	**1069**
31	**दादरा एवं नगर हवेली**	**342**
32	**दमन और दीव**	**225**
33	**दिल्ली**	**15337**
34	**जम्मू और कश्मीर**	**9070**
35	**लद्दाख**	**118**
36	**लक्षद्वीप**	**5**
37	**पुदुचेरी**	**1930**
कुल (संपूर्ण भारत)		**15,02,416**

नोट: 1. दमन और दीव का आंकड़ा 2020 से दादरा और नगर हवेली में शामिल किया गया है।

2. पश्चिम बंगाल के लिए कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017, 2019 और 2020 तथा तमिलनाडु के लिए कैलेंडर वर्ष 2017 से 2020 के आंकड़ों का मिलान संबंधित राज्यवार किया गया है।

अनुबंध-।। ।।

"सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों से संबंधित आंकड़े" के संबंध में गुरमीत सिंह मीत द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *244 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

2016 से 2022 तक आयु समूह के अनुसार वर्गीकृत मृत्यु की संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	18 वर्ष से कम	18 से 25 वर्ष	>25 से 60 वर्ष	>60 वर्ष
1	आंध्र प्रदेश	3,898	9,885	37,588	5,288
2	अरुणाचल प्रदेश	112	261	587	11
3	असम	2,191	5,685	12,423	582
4	बिहार	6,900	11,845	27,337	3,716
5	छत्तीसगढ	2,680	7,980	21,068	2,283
6	गोवा	80	363	1,330	207
7	गुजरात	4,072	10,426	35,725	3,095
8	हरियाणा	5,224	6,522	17,658	7,043
9	हिमाचल प्रदेश	759	1,498	4,958	761
10	झारखंड	2,613	5,349	12,380	4,562
11	कर्नाटक	4,399	15,833	51,526	4,816
12	केरल	1,747	4,709	15,588	6,604
13	मध्य प्रदेश	6,975	17,440	49,479	5,737
14	महाराष्ट्र	3,603	17,795	65,096	5,793
15	मणिपुर	90	184	583	47
16	मेघालय	153	233	857	27
17	मिजोरम	74	99	250	21
18	नगालैंड	32	96	177	48
19	उड़ीसा	2,342	8,235	23,088	2,156
20	पंजाब	2,638	7,385	19,848	2,701
21	राजस्थान	5,322	19,483	47,261	2,019
22	सिक्किम	40	145	319	22
23	तमिलनाडु	6,498	15,319	63,182	14,268
24	तेलंगाना	3,132	8,825	34,477	3,767
25	त्रिपुरा	116	321	934	83
26	उत्तराखंड	573	1,338	4,122	532
27	उत्तर प्रदेश	19,028	36,894	84,433	12,293
28	पश्चिम बंगाल	5,129	6,269	25,318	5,414
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	10	30	88	5
30	चंडीगढ़	75	101	444	92
31	दादरा एवं नगर हवेली	35	101	255	37
32	दमन और दीव	9	39	85	5
33	दिल्ली	720	2,127	6,435	1,224

34	जम्मू और कश्मीर	784	1,668	3,290	568
35	लद्दाख	0	32	86	0
36	लक्षद्वीप	1	1	2	1
37	पुदुचेरी	91	198	769	274
	कुल	**92,145**	**2,24,714**	**6,69,046**	**96,102**

टिप्पणी:

1. वर्ष 2013 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आयु प्रोफ़ाइल आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

2. कैलेंडर वर्ष 2014 और 2015 के लिए 25-60 वर्ष और 60 और उससे अधिक आयु वर्ग का आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

3. 'आयु ज्ञात नहीं' श्रेणी को '60 और उससे अधिक' में शामिल किया गया

4. दमन और दीव का आंकड़ा 2020 से दादरा और नगर हवेली में शामिल किया गया है

5. पश्चिम बंगाल में कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017, 2019 और 2020 तथा तमिलनाडु में कैलेंडर वर्ष 2017 से 2020 के सड़क दुर्घटना आंकड़ों का संबंधित राज्यों द्वारा मिलान किया गया है।

अनुबंध-।।। III

"सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों से संबंधित आंकड़े" के संबंध में गुरमीत सिंह मीत द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *244 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कैलेंडर वर्ष 2019 से 2022 के लिए विभिन्न प्रकार के वाहनों से घातकताओं की संख्या

टक्कर मारने वाले वाहन का प्रकार	सड़क प्रयोक्ता श्रेणी-वार मारे गए व्यक्तियों की संख्या					
	पैदल यात्री	साइकिल यात्री	दो पहिया चालक	कार, जीप और टैक्सी में व्यक्ति	ट्रकों में व्यक्ति	कुल
दो पहिया	30617	4382	93204	10028	7085	145316
ऑटो रिक्शा	4647	1041	8879	2446	1368	18381
कार, टैक्सी, वैन और एलएमवी	27565	4336	58197	34805	5654	130557
ट्रक/लॉरी	18016	3603	47344	18550	19444	106957
बस	6731	1574	13775	6129	3917	32126
अन्य	23708	3114	36051	10343	5943	79159
कुल	111284	18050	257450	82301	43411	

टिप्पणी:

1. कैलेंडर वर्ष 2013 से 2018 के आंकड़े मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं।

2. अन्य श्रेणी में साइकिल, ई-रिक्शा, गैर-मोटर वाले वाहन इत्यादि शामिल।

अनुबंध-IV

"सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों से संबंधित आंकड़े" के संबंध में गुरमीत सिंह मीत द्वारा दिनांक 12.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *244 के भाग (ख) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

सड़क सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करने के लिए मंत्रालय द्वारा की गईं विभिन्न पहलों का विवरण:-

(1) शिक्षा:

i. मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए विभिन्न एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सड़क सुरक्षा प्रचार योजना लागू की है।

ii. जागरूकता फैलाने और सड़क सुरक्षा सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति वर्ष राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह/ सप्ताह मनाना।

iii. मंत्रालय ने देश भर में राज्य/जिला स्तर पर ड्राइविंग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआर), क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना के लिए एक योजना लागू की है।

(2) इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों)

2.1 सड़क इंजीनियरिंग

i. सभी राष्ट्रीय राजमार्गों (रारा) का सड़क सुरक्षा ऑडिट (आरएसए) तीसरे पक्ष के लेखा परीक्षकों/विशेषज्ञों के माध्यम से सभी चरणों अर्थात् डिजाइन, निर्माण, संचालन और रखरखाव आदि में करवाना अनिवार्य कर दिया गया है।

ii. राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट्स/दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित और सुधार करने को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

iii. मंत्रालय के अधीन सड़क स्वामित्व वाली एजेंसियों के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में सड़क सुरक्षा अधिकारी (आरएसओ) को आरएसए और सड़क सुरक्षा संबंधी अन्य कार्यों की देखरेख के लिए नियुक्त किया गया है।

iv. मंत्रालय ने पूरे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों को दर्ज करने, उनका प्रबंधन और विश्लेषण के लिए एक केंद्रीय भंडार स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (ई-डीएआर) परियोजना लागू की है।

v. मंत्रालय ने एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन मिल सके।

vi. सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के लिए समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन न करने के लिए मोटर यान अधिनियम, 1988 में प्रावधान किए गए हैं।

2.2 वाहन इंजीनियरिंग:

मंत्रालय ने वाहनों को सुरक्षित बनाने के लिए विभिन्न पहल की हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

i. मंत्रालय ने वाहन की अगली सीट पर चालक के बगल में बैठे यात्री के लिए एक एयरबैग का अनिवार्य प्रावधान किया है।

ii. मंत्रालय ने सवारी करने या मोटर साइकिल पर ले जाने वाले चार साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा उपायों से संबंधित मानदंड निर्धारित किए हैं। इसमें एक सुरक्षा उपकरण, क्रैश हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट किया गया है और गति को 40 किमी प्रति घंटे तक सीमित किया गया है।

iii. निम्नलिखित सूचीबद्ध सुरक्षा प्रौद्योगिकियों को लगाने के लिए अनिवार्य प्रावधान: -

एम1 श्रेणी के वाहनों के लिए:

- ड्राइवर और सह-चालक के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर (एसबीआर)
- सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम के लिए मैनुअल ओवरराइड
- अति रफ्तार चेतावनी प्रणाली

सभी एम और एन श्रेणी के वाहनों के लिए:

- रिवर्स पार्किंग चेतावनी प्रणाली

iv. एल [चार पहियों से कम वाले मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल शामिल है] एम [यात्रियों को परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन] और एन [माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाले मोटर वाहन, जो बीआईएस मानकों में निर्धारित शर्तों के अधीन माल के अलावा व्यक्तियों को भी ले जा सकते हैं] श्रेणियों के कुछ वर्गों के लिए एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (एबीएस)।

v. मंत्रालय ने दो पहिया, तीन पहिया, क्वाड्रिसाइकिल, दमकल वाहन, एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों को छोड़कर सभी परिवहन वाहनों में गति नियंत्रण फंक्शन / गति नियंत्रण डिवाइस को अनिवार्य कर दिया है।

vi. स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम प्रकाशित किए, जो स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच की प्रक्रिया और एटीएस द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया को परिभाषित करते हैं। इन नियमों में 31.10.2022 और 14.03.2024 को और संशोधन किया गया है।

vii. प्रोत्साहन/हतोत्साहन के आधार पर वाहन स्क्रैपिंग नीति तैयार की और पुराने, अनुपयुक्त तथा प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया।

viii. स्वचालित प्रणाली के माध्यम से वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए केंद्रीय सहायता से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में एक आदर्श निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने की योजना।

ix. यात्री कारों की सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा शुरू करने और उपभोक्ताओं को सूचित निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाने के लिए भारत नई कार मूल्यांकन कार्यक्रम (बीएनसीएपी) के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

x. मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) और बस बॉडी बिल्डरों द्वारा बसों के निर्माण के क्षेत्र में निर्धारित समान अवसर के संबंध में नियम प्रकाशित किए गए।

xi. 1 अक्टूबर, 2025 को या उसके बाद निर्मित अनिवार्य वाहनों को एन2 (3.5 टन से अधिक लेकिन 12.0 टन से कम वाले सकल वाहन भार वाले माल वाहन) और एन3 (12.0 टन से अधिक सकल वाहन भार वाले माल वाहन) श्रेणी के वाहनों के केबिन को एयर कंडीशनिंग प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा।

xii. 01 अप्रैल, 2025 से श्रेणी एम, एन और एल7 के मोटर वाहनों में सुरक्षा बेल्ट असेंबली, सुरक्षा बेल्ट एंकरेज और सुरक्षा बेल्ट और संयम प्रणालियों की स्थापना के लिए संशोधित मानकों की प्रयोज्यता के प्रावधान प्रदान करने के लिए सुरक्षा बेल्ट, संयम प्रणाली और सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर के मानकों के संशोधन के लिए नियम प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, 1 अप्रैल 2025 को और उसके बाद निर्मित श्रेणी एम1 के वाहन एआईएस-145-2018 के अनुसार सभी आगे की ओर वाली पिछली सीटों के लिए सुरक्षा बेल्ट रिमाइंडर की आवश्यकता को पूरा करेंगे।

(3) प्रवर्तन

i. मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 में सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने और यातायात नियमों के उल्लंघन के प्रतिवारण बढ़ाने और प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सख्त प्रवर्तन के लिए कठोर शास्तियों का प्रावधान है।

ii. मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए नियम जारी किए हैं। इन नियमों में भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्यीय राजमार्गों और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत शामिल शहरों महत्वपूर्ण जंक्शनों पर उच्च जोखिम और उच्च सघनता वाले गलियारों में इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाने के विस्तृत प्रावधान निर्दिष्ट किए गए हैं।

iii. मंत्रालय ने 10 जून, 2024 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी उपाय करने का परामर्श जारी किया है।

(4) आपातकालीन देखभाल:

i. मंत्रालय ने ऐसे नेक नागरिक (गुड समारिटन) की सुरक्षा की बात कही है जो सद्भावनापूर्वक, स्वेच्छा से तथा किसी पुरस्कार या मुआवजे की अपेक्षा के बिना दुर्घटना स्थल पर पीड़ित को आपातकालीन चिकित्सा या गैर-चिकित्सा देखभाल या सहायता प्रदान करते हैं या ऐसे पीड़ित को अस्पताल पहुंचाते हैं।

ii. मंत्रालय ने हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं के पीड़ितों के मुआवजे को बढ़ा दिया है (गंभीर चोट के लिए 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु के लिए 25,000 रुपये से 2,00,000 रुपये)।

iii. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्गों के पूरे हो चुके कॉरिडोर के टोल प्लाजाओं पर पैरामेडिकल स्टाफ/आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियन/नर्स के साथ एम्बुलेंस तैनात करने का प्रावधान किया है।

iv. मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के साथ मिलकर चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, पुडुचेरी और असम में सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को नगदीरहित उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम लागू किया है।

*****